बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य खाद्य निगम के सफल संचालन हेतु सहायक प्रबंधक के रिक्त पद को भरने हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं राज्य/केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/निगम से सेवानिवृत कर्मियों को संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापित कर विभिन्न शर्तो पर आवेदन पत्र की मांग की गयी थी।

प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अर्हता पूरा करने वाले निम्नलिखित सेवा निवृत कर्मियों का दिनांक–09.12.2017 एवं 11.12.2017 को हुए Walk-in-Interview के पश्चात सहायक प्रबंधक के पद पर संविदा पर चयन किया गया है। इनकी नियुक्ति संविदा पर योगदान की तिथि से 11 माह के लिए होगी। इनका कार्यकलाप संतोषप्रद पाये जाने पर इनकी अवधि विस्तार एवं पुनः संविदा पर विचार किया जा सकता है।

क्र0	सहायक प्रबंधक (संविदा) का नाम	आवेदक का मूल विभाग	गृह जिला	अभ्युक्ति
1	श्री देवेन्द्र राय	सहकारिता प्रसार पदा0, सहायक निबंधक सहयोग समितियां	समस्तीपुर	
2	श्री सिद्धार्थ कुमार	सब–इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस रेडियो	पटना	
3	श्री अवधेश कुमार मिश्र	राजस्व अधिकारी(कानूनगो), बंदोबस्त कार्यालय	दरभंगा	
4	श्री शम्भु नाथ पाठक	अवर निरीक्षक, बिहार पुलिस रेडियो	भोजपुर	
5	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	अवर निरीक्षक, बिहार पुलिस रेडियो	नालन्दा	
6	श्री हरि शंकर सिंह	शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक	भोजपुर	
7	श्री शिव नन्दन प्रसाद	सहायक भंडार प्रबंधक, विस्कोमान	पटना	
8	श्री भाग्य नारायण सिंह	शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक	मोतिहारी	
9	श्री मुरलीधर सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी, विस्कोमान	पटना	
10	श्री कामेश्वर यादव	सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम	गया	
11	श्री नवल किशोर कुमार	क्षेत्रीय पदा0, विस्कोमान	जहानाबाद	
12	श्री कृष्णा प्रसाद निराला	सुबेदार, सेन्ट्रल ट्रेनिंग सेंटर	छपरा	
13	श्री ललन कुमार	सहायक भंडार प्रबंधक, विस्कोमान	मोतिहारी	
14	मो0 इरफान	सहायक भण्डार प्रबंधक, विस्कोमान	बेगुसराय	
15	श्री विनय बिहारी सिंह	सहायक भंडार प्रबंधक, विस्कोमान	गोपालगंज	
16	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पटना	
17	श्रीमती उषा सिन्हा	सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम	मुजफ्फरपुर	
18	श्री जय राम सिंह	सुबेदार, इंडियन आर्मी	भोजपुर	
19	श्री शशिकान्त प्रसाद	सहायक भण्डार प्रबंधक, विस्कोमान	दरभंगा	
20	श्री सुनील कुमार झा	क्षेत्र पदाधिकारी, भूमि विकास बैंक	दरभंगा	
21	श्री राजीव रंजन गुप्ता	अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक	पटना	
22	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह	सहायक भंडार प्रबंधक, विस्कोमान	मधेपुरा	
23	श्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह	सहायक गोदाम प्रबंधक,विस्कोमान	वैशाली	
24	श्री इन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	सहायक भंडार प्रबंधक, विस्कोमान	वैशाली	
25	श्री विजय नारायण झा	क्षेत्र पदाधिकारी, भूमि विकास बैंक	मधुबनी	
26	श्री हरि शंकर पाठक	क्षेत्र पदाधिकारी, भूमि विकास बैंक	मोतिहारी	
27	श्री उमाशंकर सिंह	क्षेत्र पदाधिकारी, भूमि विकास बैंक	भोजपुर	
28	श्रीमती सावित्री सिन्हा	महिला पर्यवेक्षिका,बाल विकास परियोजना	मोतिहारी	
29	श्री अखिल किशोर प्रसाद सिंह	स्केल–2 मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	शेखपुरा	

शर्ते–

1. सभी चयनित अभ्यार्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक–12.01.2018 तक बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, निगम मुख्यालय,पटना में योगदान करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

2. अभ्यार्थियों द्वारा दिये गये कोई भी कागजातों में गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यार्थियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
3. उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही मानदेय के रूप में देय होगा।
4. इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
5. संविदा पर कार्यरत ऐसे किसी कर्मी के विरूद्ध अनुशासनिक/अपराधिक मामला, क्षति/गबन का मामला पाये जाने पर उनकी संविदा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. इनके द्वारा ''बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम'' के अन्तर्गत एकरारनामा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में ''बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम'' के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।
8. संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि ''बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह0/-

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

ज्ञापांकः-3:02:200:01:17 दिनांक-

प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक,जन वितरण/अधिप्राप्ति/सभी महाप्रबंधक/ सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/प्रबंध निदेशक कोषांग,निगम मुख्यालय,पटना एवं सभी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

ज्ञापांकः-3:02:200:01:17 194 दिनांक- 8/1/18

प्रतिलिपि-उपरोक्त क्र0सं0-1 से 29 तक सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रभारी नियंत्रण कक्ष को निदेश है कि निगम के बेवसाईट पर लोड करना सुनिश्चित करें ताकि सफल अभ्यर्थियों तक सूचना प्राप्त हो सके।

8/1/18

उप महाप्रबंधक,प्रशासन